उत्तर प्रदेश शासन
सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग–1

संख्या – 4056/बीस–ई–1–95–539(2)/95
लखनऊ : दिनॉक : 12 अगस्त, 1995

विज्ञप्ति

श्री राज्यपाल ''पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग'', ''विकलांग कल्याण विभाग'', ''अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग'' तथा ''अल्प संख्यक कल्याण विभाग'' के गठन हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन विभागों द्वारा उनके नाम के नीचे अंकित कार्य मुख्यतः सम्पादित किया जायेगा :–

1– पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग –

1. पिछड़े वर्गों के लिए सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक विकास का कार्य।
2. राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम।
3. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग।
4. पिछड़े वर्गों के सम्बन्ध में भारत सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।
5. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के निर्देशों का कार्यान्वयन।
6. पिछड़े वर्गों के सम्बन्ध में सेवायोजन एवं आरक्षण का पर्यवेक्षण।
7. पिछड़े वर्गों के सम्बन्ध में अन्य विभागों के साथ समन्वयन का कार्य।
8. पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित अन्य कल्याणकारी कार्य।
9. गैर सरकारी संस्थाओं से पिछड़े वर्गों के कल्याण कार्य के लिए सहायता एवं सहयोग।
10. पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित बजट, योजनाएं तथा अन्य समस्त प्रशासनिक मामलों से सम्बन्धित कार्यों का कार्यान्वयन।

2– विकलांग कल्याण विभाग –

1. विकलांग के सम्बन्ध में राष्ट्रीय नीति का कार्यान्वयन।
2. विकलांग कल्याण के बारे में राज्य की नीति।
3. आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर योजनाओं के माध्यम से विकलांगों का सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक विकास सुनिश्चित करना।
4. विकलांगों के विकास सम्बन्धी भारत सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।
5. विकलांग कल्याण के सम्बन्ध में राष्ट्रीय संस्थानों के साथ समन्वय।
6. विकलांगों के कल्याण सम्बन्धी कार्यों हेतु अन्तर विभागीय समन्वय।
7. सेवाओं में आरक्षण एवं सेवायोजन का पर्यवेक्षण।
8. विकलांगों के लिए सहायता तथा उपकरण।
9. विकलांगों के लिए विशेष शिक्षा तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण।
10. गैर सरकारी संस्थाओं /माता–पिता/सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों का विकलांगों के कल्याण सम्बन्धी प्रशिक्षण।
11. वाह्य सहायता एवं सहयोग।

12. गैर सरकारी संस्थाओं से विकलांगों के कल्याण कार्य के लिए सहायता एवं सहयोग।
13. राज्य एवं केन्द्रीय सार्वजनिक उ़द्यमों तथा निजी क्षेत्र के उद्यमों एवं उनके संगठनों से विकलांग कल्याण के लिए सहयोग प्राप्त करना।
14. विकलांगों से सम्बन्धित योजनाएं, आय–व्ययक तथा अन्य प्रशासनिक मामले।

3– अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग –

राज्य सरकार की अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नीति एवं कार्यक्रमों का निर्धारण, क्रियान्वयन, अनुश्रवण तथा समन्वय कार्य।

4– अल्पसंख्यक कल्याण विभाग –

1. अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की नीति से सम्बन्धित कार्य।
2. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से सम्बन्धित समस्त कार्य।
3. अल्पसंख्यक आयोग उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित समस्त कार्य।
4. अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ चलाये जा रहे 15–सूत्रीय कार्यक्रमों का अनुश्रवण एवं तत्सम्बन्धी कार्य।
5. उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम से सम्बन्धित समस्त कार्य।
6. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम से सम्बन्धित समस्त कार्य।
7. अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित स्वैच्छिक संस्थाओं से सम्बन्धित कार्य।
8. हज से सम्बन्धित समस्त कार्य।
9. अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक विकास से सम्बन्धित समस्त कार्य।
10. मुस्लिम वक्फ अधिनियम, नियम से सम्बन्धित समस्त मामले।
11. मुस्लिम अवकाफ सम्बन्धी सभी कार्य।
12. वक्फ आयुक्त उत्तर प्रदेश का अधिष्ठान।
13. सुन्नी/शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड, उत्तर प्रदेश का कार्य तथा उनका नियन्त्रण।
14. सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन एवं बोर्ड का गठन।
15. शिया सेन्ट्रल बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन एवं बोर्ड का गठन।
16. हुसेनाबाद तथा सम्बद्ध ट्रस्टों के प्रशासनकी योजना सम्बन्धी कार्य।
17. अवध अमानती नोट्स के ब्याज के भुगतान के मामले।
18. अवध वसीका पेंशन एवं अवध वसीका पर ब्याज सम्बन्धी मामले।
19. अवध वसीका कार्यालय, लखनऊ ओर एजेन्सी आफिस, वाराणसी से सम्बन्धित कार्य।
20. वसीका मैनुअल तथा वसीका सम्बन्धी अन्य कार्य।
21. भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपाय तथा भारत सरकार के भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त से सम्बन्धित कार्य तथा उनकी सिफारिशों का कार्यान्वयन।
22. भाषाई अल्पसंख्यकों के भाषा विषयक हितों की सुरक्षा।
23. भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त से सम्बन्धित समस्त कार्य।
24. उपर्युक्त सभी मदों से सम्बन्धित आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर आय–व्ययक से सम्बन्धित कार्य।
25. उपर्युक्त मदों से सम्बन्धित विधायी कार्य।

2— उपर्युक्त विभागों के गठन के पश्चात् ''समाज कल्याण विभाग'' का नाम ''अनुसूचित जाति/जन–जाति एवं समाज कल्याण विभाग'' हो जायेगा।

ह0/—
माता प्रसाद
मुख्य सचिव।

संख्या — 4056(1)/बीस–ई–1–95–539(2)/95, तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल।
4. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मुत्री जी।
5. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग को इस अनुरोध के साथ के वे कृपया उक्तानुसार गठित विभागों के नामों के अनुरूप अभिलेखों में यथावश्यक संशोधन /परिवर्तन करने की कार्यवाही करें।
6. मुख्य सचिव के निजी सचिव।
7. उत्तर प्रदेश शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव।
8. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. सचिव, विधान परिषद/विधान सभा।
11. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
12. मुख्य व्यवस्थाधिकारी, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
13. स्थानिक आयुक्त, 401—अम्बादीप भवन, 14 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे भारत सरकार के सम्बन्धित विभागों को तद्नुसार सूचित करने का कष्ट करें।
14. अवैतनिक सचिव, यू0पी0 सिविल सेक्रेटेरिएट कोआपरेटिव बैंक, विधान भवन, लखनऊ।
15. संयुक्त निदेशक (प्रकाशन), उत्तर प्रदेश को 2 अतिरिक्त प्रतियों सहित इस अनुरोध के साथ कि वे कृपया इस विज्ञप्ति की 2500 प्रतियॉ छपवाकर सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग—1 को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
ह0/—

मुकुल सिंहल
विशेष सचिव।